रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

351.05
H57R
27694
H.P. govt

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 1 अगस्त, 2003/10 श्रावण, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय, उपायुक्त, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन, 9 जून, 2003

संख्या पी0 एस0-2-मिस-7/67-4486-94.—इस कार्यालय के कारण बताओ नोटिस सं0-पी0 एस0-2-मिस-7/67-4247-50, दिनांक 17 अक्तूबर, 2002 को श्री हेत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत लाना चेता, विकास खण्ड संगड़ाह को नोटिस जारी कर सरकारी धनराशि के दुरुपयोग में उत्तर अधोहस्ताक्षरी को खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड संगड़ाह के माध्यम से मांगा गया था ।

यह कि निर्माण फुटब्रिज लाना चेता खाला हेतु मु0-1,32,000/- रु0 पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश सं0-पी0 एस0 जी-/एस0 आर0 एम-(एफ) 167/2001 (BASP)-4188, दिनांक 30 मार्च, 2001 को खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत लाना चेता के पक्ष स्वीकृत की गई थी । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रथम किश्त के रूप में मु0-50,000 रु0 निर्माण सामग्री के क्रय हेतु ग्राम पंचायत लाना चेता के पक्ष में जारी किया गया । इस राशि में से मु0-25,000/- रु0 प्रधान द्वारा पंचायत के रोकड़ बही पृ-11, दिनांक 25-6-2001 के अन्तर्गत पेशगी

के रूप में राशि प्राप्त किया गया है । इस राशि को प्रधान द्वारा पेशगी के रूप में रखा गया, जिस कार फुटब्रिज निर्माण के कार्य में काफी विलम्ब हुआ और राशि का दुरुपयोग भी होता रहा ।

इस कार्य में बरती गई अनियमितताओं बारे सूचना खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्ष को उनके पत्र सं0डी0 बी0 एस-(संगड़ाह) (स्कीम)/2002-2230, दिनांक 2 दिसम्बर, 2002 द्वारा दि गया और इस स्कीम को रद्द करने की भी सिफारिश खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गई क्योंक कार्य प्रधान द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर आरम्भ नहीं किया गया था । इस स्कीम को आदेश सं0-पी0 एल0 जो0/एस0 आर0 एम (एफ)-167/2001 (BASP)-10775, दिनांक 7 सितम्बर, 2001 को रद्द किया गया जिसकी सूचना प्रधान को खण्ड विकास अधिकारी संगड़ाह के माध्यम से पत्र स0-डी0 बी0 एस0/02-2036, दिनांक 13-12-2002 को दिया गया और व्यय राशि मु0-50,000/- रु0 तुरन्त जमा करने के निर्देश भी दिए गए । लेकिन प्रधान द्वारा दिए गए निर्देशों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है ।

इस कार्यालय के कारण बताओ नोटिस द्वारा प्रधान को 15 दिनों का समय देते हुए राशि दरुपयोग बारे नोटिस जारी किया गया था । इस बारे खण्ड विकास अधिकारी की टिप्पणियों सहित रिपोर्ट अनुसार प्रधान ग्राम पंचायत का उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया । अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्रधान द्वारा मु0-50,000/- रु0 का दुरुपयोग किया है । इस कृत्य के कारण श्री हेत राम द्वारा प्रधान जैसे गरीमामय पद को ठेस पहुंचाई है, श्री हेत राम के प्रधान पद पर बने रहने से इस अनियमितता की जांच पर प्रभाव पड़ सकता है और रिकार्ड में बदलाव की आशंका है ।

अतः मैं, ओंकार शर्मा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-145(2) व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम-142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हेत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत लाना चेता विकास खण्ड संगड़ाह, जिला सिरमौर को प्रधान पद से निलम्बित करता हूं और उनको यह आदेश देता हूं कि यदि उसके पास ग्राम पंचायत का कोई रिकार्ड, राशि या सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत एवं विकास खण्ड अधिकारी, ग्राम पंचायत लाना चेता को सौंपेंगे । उनके ऊपर लगाये गये आरोपों से सम्बन्धित आरोप-पत्र इस आदेश के साथ प्रस्तुत किया जाता है ।

नाहन-173001, 19 जून, 2003

संख्या-पी0 सी0 एन0 एस0 एम0 आर0 (धारा-122)/2003-6034-40.—यह कि विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि ग्राम पंचायत नाया पंजोड के उप-प्रधान, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री किकरू राम, निवासी ग्राम पंचायत कुफर, तहसील शिलाई के यहां दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त पांचवे शिशु का जन्म हुआ है ।

उपरोक्त तथ्य की पुष्टि हेतु श्री महेन्द्र सिंह उप-प्रधान तथा ग्राम पंचायत नाया पंजोड के ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को परिवार रजिस्टर, विवाह पंजीकरण रजिस्टर सहित बुलाया गया ।

श्री महेन्द्र सिंह, उप-प्रधान ने उसको जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें उसने विवादित नवजात शिशु अपने बड़े भाई श्री तुलसी राम का पुत्र बताया है तथा शिशु की माता श्रीमती सन्तोष देवी के बारे में उल्लेख किया है कि वह पुराने रिति रिवाजों के अनुसार उसके भाई श्री तुलसी राम व उसकी जोडीदारा में पत्नी थी, जो अब समस्त बच्चों सहित केवल उसके बड़े भाई तुलसी राम की ही पत्नी है, जिसकी पुष्टि हेतु श्री महेन्द्र सिंह ने नकल परिवार रजिस्टर भी प्रस्तुत की । परिवार रजिस्टर की इस नकल में एक नोट भी दर्ज है, जिसमें "आदेश नं0 62, दिनांक 1-10-2002 के अनुसार कार्यकारी दण्डाधिकारी शिलाई के अनुसार रिकार्ड ठीक किया गया" का उल्लेख है । उस द्वारा प्रस्तुत परिवार रजिस्टर की नकल में श्रीमती सन्तोष देवी तथा पांच बच्चे श्री तुलसी राम पुत्र श्री किकरू राम

के नाम पर दर्ज हैं तथा श्री महेन्द्र सिंह के नाम न तो कोई पत्नी दर्ज है और न ही बच्चे दर्ज हैं ।

ग्राम पंचायत नाया पंजोड का पंचायत सहायक परिवार रजिस्टर, विवाह पंजीकरण रजिस्टर तथा जन्म पंजीकरण रजिस्टर सहित उपस्थित आया, जिसका ब्यान कलमबद्ध किया गया । पंचायत सहायक ने अपने ब्यान में बताया कि जन्म पंजीकरण रजिस्टर में श्री महेन्द्र सिंह के नाम 8-6-2001 के उपरान्त किसी भी शिशु का जन्म पंजीकृत नहीं है । तथा विवाह पंजिकरण रजिस्टर में भी श्री महेन्द्र सिंह का विवाह भी दर्ज नहीं है । परिवार रजिस्टर के पृष्ट संख्या 24 में श्रीमती सन्तोष देवी व चार बच्चे भी श्री महेन्द्र सिंह के नाम पर दर्ज हैं जो कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई के आदेश संख्या 165, दिनांक 1-10-2002 के आधार पर दुरुस्ती कर श्री तुलसी राम के नाम किये गये । उसने अपने ब्यान में यह भी बताया कि ग्राम पंचायत, नाया पंजोड का क्षेत्र पहले ग्राम पंचायत, हलाहां के अन्तर्गत था । जन्म पंजिकरण रजिस्टर तथा परिवार रजिस्टर के सम्बन्धित पृष्ठों की छाया प्रतियां अपने ब्यान में प्रस्तुत की ।

उपरोक्त तथ्यों व सबूतों के अतिरिक्त प्रधान, ग्राम पंचायत नाया पंजोड ने एक लिखित शिकायत पत्र की जिसमें उसने उपरोक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये बताया कि श्री महेंद्र सिंह के पांचवें शिशु का जन्म 12-11-2002 को हुआ है जो जन्म पंजीकरण रजिस्टर पर क्रम संख्या:-6 पर दिनांक 18-11-2002 को स्वयं श्री महेन्द्र सिंह ने दर्ज करवाकर अपने हस्ताक्षर किये हैं । इसके अतिरिक्त अन्य चार बच्चों का पिता भी श्री महेन्द्र ही दर्ज है यथा पाठशाला के रिकार्ड में भी अन्य चार बच्चों का पिता श्री महेन्द्र सिंह ही दर्ज है । इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र रेणुका की निर्वाचक नामावली, 2002 में भी श्रीमती सन्तोष देवी, श्री महेन्द्र सिंह की पत्नी दर्ज है । उसने अपने शिकायत पत्र के साथ अपनी शिकायत की पुष्टि हेतु कार्यकारी दण्डाधिकारी शिलाई द्वारा जारी आदेश संख्या 165 दिनांक 1-10-2002 की छाया प्रति, विधान सभा क्षेत्र रेणुका की निर्वाचक नामावली, 2002 की छाया प्रति तथा दिनांक 6-9-2002 को अमर उजाला अंक में प्रकाशित समाचार की छाया प्रति प्रस्तुत की है ।

प्रधान, ग्राम पंचायत नाया पंजोड के शिकायत पत्र की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत हलाँहा का विवाह पंजीकरण रजिस्टर तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हलाँहा का प्रवेश पंजीकरण रजिस्टर भी मंगवाया गया तथा ग्राम पंचायत नाया पंजोड से सम्बन्धित मतदाता सूचि 2000 की छायाप्रति भी उपलब्ध की गई । ग्राम पंचायत हलाँहा के विवाह रजिस्टर में क्रम संख्या 33 पर दिनांक 9-2-1982 को श्री तुलसी राम पुत्र श्री किकरू राम का विवाह श्रीमती कोहला देवी पुत्री श्री जालमू के साथ दिनांक 12-6-1981 को होना दर्ज पाया गया तथा श्री महेन्द्र सिंह का विवाह दिनांक 15-12-1989 को क्रम संख्या 56 पर श्रीमती सन्तोष देवी पुत्री श्री सुन्दर सिंह के साथ रित प्रथा के अनुसार होना दर्ज पाया गया जो स्वयं श्री महेन्द्र सिंह ने दर्ज करवाकर अपने हस्ताक्षर किये हैं । राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हलाँहा के उपस्थित कर्मचारी ने अपने ब्यान के दौरान राजकीय प्राथमिक पाठशाला नाया द्वारा जारी विद्यालय त्याग का प्रमाण-पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की जिसमें छात्र श्री चमन लाल के पिता का नाम श्री महेन्द्र सिंह दर्ज होना पाया गया जो काटकर तुलसी राम लिखा गया है और कटिंग पर जारी करदा अधिकारी के हस्ताक्षर भी हैं इस कटिंग बारे उपस्थित कर्मचारी ने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की क्योंकि यह कटिंग उपरोक्त प्रमाण-पत्र जारी करदा विद्यालय द्वारा की गई थी । ग्राम पंचायत नाया पंजोड के वार्ड नं0-5 कफनू की मतदाता सूचि 2000 की क्रम सं0 14 पर श्रीमती सन्तोष देवी के पति का नाम श्री महेन्द्र सिंह दर्ज होना पाया गया है ।

उपरोक्य तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह उप-प्रधान, ग्राम पंचायत नाया पंजोड विकास खण्ड शिलाई ने अपना पद सुरक्षित रखने हेतु सुनियोजित योजना के अन्तर्गत श्रीमती सन्तोष देवी तथा पांच बच्चों को अपने बडे भाई श्री तुलसी राम पुत्र श्री किकरू राम के नाम पर दर्ज करवाया है । यह भी उल्लेखनीय है कि पंचायत के किसी भी रिकार्ड में दुरुस्ती हेतू कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) शिलाई सक्षम अधिकारी नहीं है इस हेतु नियम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम-21 के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (ना0) विहित प्रधिकारी हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि

श्री महेन्द्र सिंह उप-प्रधान, ग्राम पंचायत नाया पंजोड द्वारा नियम के विरुद्ध अभिलेखों में दुरूस्ती करवाकर अपने पद को बचाने हेतु परिवार रजिस्टर व जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में इन्द्राज करवाया है जो कि आपत्तिजनक है और नियम के विरुद्ध है इससे यह स्पष्ट होता है कि श्रीमती सन्तोष देवी व पांचों बच्चे श्री महेन्द्र सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत नाया पंजोड के ही है तथा विवादित पांचवा बच्चा दिनांक 12-11-2002 को श्री महेन्द्र सिंह के यहां ही पैदा होना पाया जाता है।

अतः मैं, ओंकार शर्मा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122(1) में उक्त अधिनियम के वर्ष 2000 के 18वें संशोधन की धारा 19 द्वारा अन्तः स्थापित खण्ड (ण) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत नाया पंजोड, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर को उप-प्रधान पद पर बने रहने हेतु अयोग्य घोषित कर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-131 में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम-2000 की धारा 7 के अन्तर्गत उप-प्रधान, ग्राम पंचायत नाया पंजोड के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

नाहन, 19 जून, 2003

संख्या पी0सी0एन0-एस0एम0आर0(9) 11/96-6044-52.—ग्राम सभा नाया पंजोड, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के ग्राम सभा सदस्यों द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 129 (1) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 127 के अन्तर्गत प्रधान श्रीमति द्रोपती देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव-1 दिनांक 9-6-2003 के पारित होने के फलस्वरूप, श्रीमति द्रोपती देवी ग्राम पंचायत नाया पंजोड, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर के प्रधान पद से दिनांक 9-6-2003 को अपदस्त हो चुकी हैं।

अतः मैं, ओंकार शर्मा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (4) व (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम पंचायत नाया पंजोड, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर के प्रधान पद को रिक्त घोषित करता हूं।

नाहन-173001, 19 जून, 2003

संख्या पी0सी0एन0-एस0एम0आर0(5)/2003-6053-75.—अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, जिला सिरमौर के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के फलस्वरूप अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त घोषित किया गया था इन पदों की पूर्ति करने हेतु आज दिनांक 18-6-2003 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला परिषद् के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बैठक बुलाई गई।

उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया जिसके फलस्वरूप निम्न पदाधिकारियों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। अतः मैं, ओंकार शर्मा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-86 के अन्तर्गत निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, जिला परिषद् सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के नामों की अधिसूचना जारी करता हूं :—

1. श्री राजेन्द्र ठाकुर पुत्र बहादुर सिंह, ग्राम खूड, डा0 जरग, तहसील रेणुका, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। — अध्यक्ष (अनारक्षित)

2. श्रीमति मृदुला स्वरूप पत्नि श्री रविन्द्र स्वरूप, ग्राम व डा0 सैनवाला मुबारिकपुर, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। — उपाध्यक्ष (अनारक्षित)

नाहन, 23 जून, 2003

क्रमांक : पी0 सी0 एन0-एप0 एम0 आर0 (5)/2001-6210-30.—पंचायत समिति पच्छाद, जिला सिरमौर के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रिक्त किये गये पदों हेतु दिनांक 21 जून, 2003 को उप-मण्डल अधिकारी (ना0) राजगढ़, जिला सिरमौर हि0 प्र0 की अध्यक्षता में करवाये गो निर्वाचन पंचायत समिति पच्छाद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों हेतु निर्वाचित पदाधिकारियों के नामों की अधिसूचना मैं, ओंकार शर्मा, भा0 प्र0 से0, उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हि0 प्र0, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 के अन्तर्गत निम्न अनुसार जारी करता हूं :—

क्र0 सं0	पिता/पति के नाम सहित पदाधिकारी का नाम व पूरा पता	पद का नाम	आरक्षण	निर्वाचित
1	2	3	4	5
1.	श्री सिरमौर सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, निवासी ग्राम कुण्डलू, डा0 बागथन, तह0 पच्छाद, जिला सिरमौर ।	अध्यक्ष	अनारक्षित	सविरोध
2	श्रीमती किरण बाला पत्नि श्री राकेश कुमार, ग्राम व डा0 वामनीं, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर ।	उपाध्यक्ष	अनारक्षित	सविरोध

ओंकार शर्मा,
उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 25 जून, 2003

संख्या सोलन-3-76 (पंच)/2003-3404-10.—यह कि श्री प्रेम लाल, सदस्य, ग्राम पंचायत भेरल, वार्ड नं0 3, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का त्याग-पत्र इस कार्यालय को खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार के कार्यालय पत्र संख्या के0 बी0 (पंच) 75/2002-1057, दिनांक 6 जून, 2003 के माध्यम से प्राप्त हुआ है । क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122(1)(ण) के अन्तर्गत सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गये हैं ;

अतः मैं, भरत खेडा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अधीन प्राप्त हैं। श्री प्रेम लाल, सदस्य, ग्राम पंचायत बेरल, वार्ड नं0 3, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को तत्काल सदस्य पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 131(1) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत भेरल, वार्ड नं0 3, विकास खण्ड कुनिहार, के सदस्य पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

भरत खेड़ा,
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय आदेश

सोलन, 25 जून, 2003

सं0 सोलन-1/37 (पंच) जि0 प0/2003-634-656.—आज दिनांक 19-6-2003 को उपायुक्त कार्यालय सोलन के अधिवेशन कक्ष में प्रातः 11.00 बजे जिला परिषद् सोलन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः श्री अम्बा दत्त शर्मा तथा श्री भीम दत्त शर्मा को उनके पद से हटाए जाने बारे लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में श्री भरत खेड़ा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त सोलन की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही :—

बैठक की उपस्थिति 8/17 रही ।

बैठक में जिला परिषद् सोलन के वर्तमान सदस्यों में से निम्न सदस्यों ने भाग लिया :—

(क) उपस्थित सदस्यों के नाम :

1. श्री गुरदास राम कौशल,	सदस्य	जि0 प0
2. श्री बलदेव सिंह वर्मा	,,	,,
3. श्री सुन्दर सिंह जसवाल	,,	,,
4. श्री शंकर लाल शर्मा	,,	,,
5. श्री राजेन्द्र सिंह	,,	,,
6. श्रीमती चांद रानी	,,	,,
7. श्रीमती तारों देवी	,,	,,
8. श्रीमती किसन बाला	,,	,,

(ख) नोटिस देने वाले सदस्यों के नाम :

1. श्री शंकर लाल शर्मा	सदस्य	जि0 प0
2. श्री सुन्दर सिंह जसवाल	,,	,,
3. श्री बलदेव सिंह वर्मा	,,	,,
4. श्री राजेन्द्र सिंह	,,	,,
5. श्रीमती चांद रानी	,,	,,
6. श्री गुरदास राम कौशल	,,	,,
7. श्रीमती सन्तोष	,,	,,
8. श्री तुलसी राम	,,	,,
9. श्रीमती किरन बाला	,,	,,
10. श्रीमती तारों देवी	,,	,,

(ग) वह तारीख जिसको नियम 128 के अधीन बैठक का नोटिस दिया गया था :

7 जून, 2003 ।

(घ) बैठक के लिए दिनांक 19-6-2003 निश्चित की गई थी, नियम 131 के अधीन बैठक का नोटिस 11-6-2003 को समस्त जिला परिषद् पदाधिकारियों को जारी किया गया था ।

(ङ) जिला परिषद् सोलन के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 17 हैं ।

(च) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बैठक मे अनुपस्थित रहे ।

(छ) बैठक दिनांक 19-6-2003 को प्रातः 11.00 बजे उपायुक्त कार्यालय सोलन के अधिवेशन कक्ष में प्रारम्भ हुई और वह 1.00 बज गणपूर्ति न होने के कारण बठक विघटित की गई ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम, 132 के अन्तर्गत बैठक के लिए नियत समय के पश्चात् 2 घण्टों के भीतर गणपूर्ति जिसकी परिहार्य संख्या 9 थी, उपस्थित न होने के कारण बैठक विघटित हो गई और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जिला परिषद् सोलन के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विफल हो गया ।

भरत खेड़ा,
पीठासीन अधिकारी एवं
उपायुक्त सोलन, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश ।

कारण बताओ नोटिस

सोलन, 8 जुलाई, 2003

संख्या सोलन-4-136(पंच)/90-3684-88.—खण्ड विकास अधिकारी कुनिहार ने अपने कार्यालय पत्र संख्या के0 बी0 (पंच) 75/2001-1199 दिनांक 16 जून, 2003 के साथ ग्राम पंचायत धुन्दन का प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 23-5-2003 की प्रति इस कार्यालय को भेजते हुए सूचित किया है कि श्री कुलदीप कुमार सदस्य, ग्राम पंचायत धुन्दन, की लगातार चार बैठकों में दिनांक 17-2-2003, 28-2-2003, 14-3-2003 तथा 29-3-2003 से बिना पंचायत को सूचित किए अनुपस्थित रह रहा है । अतः इस सदस्य की अनुपस्थिति को देखते हुए उसके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (1) (बी) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जानी अनिवार्य हो गई है । क्योंकि उनकी अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि वह पंचायत का सदस्य पद का कार्य निभाने के इच्छुक नहीं हैं ।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरुद्ध सदस्य पद को रिक्त घोषित करने हेतु एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

भरत खेड़ा,
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उपायुक्त, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

सूचना

ऊना, 8 जुलाई, 2003

क्रमांक पंच-ऊना (निर्वाचन)/2003-1106/1136.—चूंकि विकास खण्ड ऊना, अम्ब, हरोली तथा गगरेट की संलग्न सारणी अनुसार पंचायतों के उप-चुनाव के फलस्वरूप सदस्यों के परिणाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 49 के अन्तर्गत घोषित किए जा चुके हैं ।

अतः मैं, रजनीश (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, ऊना एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 के अन्तर्गत विकास खण्ड ऊना, अम्ब, गगरेट तथा हरोली की संलग्न सारणी अनुसार ग्राम सभाओं में से निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों के नामों की जनसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूं।

रजनीश,
उपायुक्त,
ऊना, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (हि0 प्र0)।

सारणी

क्र0 सं0	नाम ग्राम सभा	निर्वाचित पदाधिकारियों का नाम व पता	वार्ड नं0 पद नाम	आरक्षण का विवरण	अ0 जा0/ अ0 जा0 जा0 अ0	पुरुष/ महिला प0 व0	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
विकास खण्ड गगरेट जिला ऊना (हि0 प्र0) :							
1.	गगरेट अप्पर	श्री जगत राम सुपुत्र श्री हरी राम, मुहल्ला राम नगर, बेली, डा0 गगरेट, जिला ऊना (हि0 प्र0)।	1 (पंच)	पु0	अ0 जा0	पु0	सविरोध
विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना :							
1.	अप्पर बसाल	श्री अश्वनी कुमार उर्फ काकु पुत्र श्री तारा चन्द, गांव व डा0 अप्पर बसाल।	उप-प्रधान	—	—	पु0	सविरोध
2.	नंगल सलांगड़ी	श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री बन्तु राम, गांव व डा0 नंगल सलांकड़ी।	3 (पंच)	पु0	अ0 जा0	पु0	सविरोध
विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) :							
1.	भटेहड़	श्री अमी चन्द पुत्र हीरू राम, गां0 बरेट, डा0 धर्मशाल महन्ता।	1 (पंच)	—	—	पु0	निर्विरोध
2.	अम्ब टिल्ला	श्रीमती रानी बीबी पत्नी श्री शौकिन मुहम्मद, गां0 अम्ब टिल्ला, डा0 राजपुर जस्वां।	3 (पंच)	म0	—	म0	निर्विरोध
3.	जबेहड़	श्री सुरेश कुमार पुत्र सन्त राम, गांव सरोड, डा0 सूरी।	3 (पंच)	पु0	—	पु0	निर्विरोध
4.	चौआर	श्री मदन लाल पुत्र गुलजारी लाल, गांव व डा0 चौआर।	3 (पंच)	पु0	—	पु0	सविरोध
5.	नन्दपुर	श्री हुक्म चन्द पुत्र खुशी राम, गांव व डा0 नन्दपुर।	2 (पंच)	पु0	—	पु0	सविरोध

6. लोहारा अप्पर ।	श्री रजीव कुमार पुत्र दास राम, गांव थनिक-पुरा, डा० भरवाई ।	2 (पंच)	पु०	—	पु० सविरोध
7. सपोरी	श्री बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह, गांव मुदाल, डा० सपोरी ।	उप-प्रधान	—	—	पु० सविरोध
8. कटोहड़खुर्द	श्री केदार नाथ पुत्र श्री दौलत राम, गांव व डा० कटोहड़ खुर्द ।	उप-प्रधान	—	—	पु० सविरोध

पंचायत समिति, अम्ब :

9. सूरी	श्री प्यारा सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, गांव जबेहड़, डा० सूरी, तहसील अम्ब ।	पंचायत समिति सदस्य (12)	पु०	—	पु० सविरोध

विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना :

1. कुंगड़त	श्री रजिन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरजीत सिंह, गांव व डा० कुंगड़त ।	5 (पंच)	पु०	अ० जा०	पु० सविरोध
2. सलोह	श्री करतार चन्द पुत्र श्री अमी चन्द, गांव व डा० सलोह ।	9 (पंच)	पु०	—	पु० निर्विरोध

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।